न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 403/2024
संतोष देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी तन टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)

– वादिया

बनाम

1. अमीलाल पुत्र श्रीचन्द
2. इन्द्राज पुत्र कुशला
3. ओमप्रकाश पुत्र फुलचन्द
4. कुरडा पुत्र कुशला (फौत)
   4/1. प्रभाती देवी पत्नी कुरड़ा
   4/2. बनवानी पुत्र कुरडा
   4/3. बिजूराम पुत्र कुरडा (फौत)
   4/3/1. मन्नी पत्नी बिरजू
   4/3/2. अंकिता पुत्री बिरजू
   4/4/3. हेमन्त पुत्र बिरजू
5. परमेश्वरी देवी पत्नी फुलचन्द
6. मानसिंह पुत्र श्रीचन्द
7. शिशपाल पुत्र सुरजा
8. सुन्दरी पत्नी गणपत (फौत)
   8/1. घोठी पुत्री गणपत
   8/2. सज्जना पुत्री गणपत
   समस्त जातिगण जाट निवासीगण ढाका की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुढागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक।
10. लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वकील पक्षकारान
वकील वादिया – श्री विनोद कुमार गिल
वकील प्रतिवादीगण – श्री राजेश पुनियां

निर्णय

दिनांक 05.05.2025

संक्षेप मे वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम टीटनवाड पटवार हल्का टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1114, 12, 1230, 1231, 1237 व 1565/22 रकबा क्रमशः 1.38 है0, 0.14 है0, 1.04 है0, 1.05 है0, 1.

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

05 है0 व 0.06 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.72 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 1230, 1231 व 1237 रकबा क्रमशः 1.04 है0, 1.05 है0 व 1.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.14 है0 भूमि के 1/6 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार कुरड़ा था। कुरड़ा को अपनी वैध निजी तथा पारिवारिक जरूरतों को पुरा करने के लिए धन राशि की सख्त आवश्यकता होने पर कुरड़ा ने उक्त वर्णित भूमि में अपने हक व हिस्से की सम्पूर्ण 1/6 हिस्से की भूमि को मुबलिग 3,33,200/—रूपये प्रतिफल में वादिया को दिनांक 22.02.2013 को उपपंजीयक उदयपुरवाटी के समक्ष विक्रय पत्र वादिया के पक्ष में तस्दीक व तकमील करवा दिया तथा उक्त भूमि पर वादिया कब्जा काश्त हो गई। वादिया ने उक्त भूमि खरीदने के उपरान्त भूमि का नामान्तरणकरण दर्ज करवाने के लिए उक्त विक्रय पत्र वादिया ने हल्का पटवारी को दे दिया तथा हल्का पटवारी ने वादिया को आश्वस्त किया कि मैं आपके पक्ष में विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज कर दूंगा तब वादिया भी आश्वस्त हो गई तथा वादिया अपनी भूमि पर कब्जा काश्त व लांट बांट करने लग गई। दिनांक 18.05.2022 को वादिया अपनी उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड की नकल हल्का पटवारी से ली तो हल्का पटवारी ने वादिया को कहा कि राजस्व रिकॉर्ड आपके नाम से दर्ज नहीं है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी से आदेश लाने पर ही उक्त नामान्तरणकरण दर्ज करने के लिए कहा। वादिया तहसीलदार गुढागौड़जी के समक्ष नामान्तरणकरण दर्ज करवाने के लिए गई तो उन्होंने वादिया के पक्ष में नामान्तरणकरण दर्ज करने से मना कर दिया। वादिया अपने 1/6 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के लिए यह वाद इस न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ। वादिया दिनांक 19.05.2022 को अपनी खरीद शुदा एवं कब्जा काश्त की भूमि में काम करने गई तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 वादिया के साथ सींव को लेकर विवाद करने लगे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 वादिया के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा वादिया को धमकी दी कि हम उक्त भूमि से आपको जबरन लाठी के बल पर बेदखल कर देंगे तथा तुम्हें तुम्हारी कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द बुर्द करेंगे तथा दीगर व्यक्ति को बेचान करेंगे अगर प्रतिवादीगण वादिया को अपनी कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर देते हैं तो वादिया को असीम क्षति होगी तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। इस कारण वादिया के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने के रोज पैदा हुआ जो आज वर्तमान में भी जारी। अतः वादिया वाके ग्राम टीटनवाड पटवार हल्का टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1230, 1231 व 1237 रकबा क्रमशः 1.04 है0, 1.05 है0 व 1.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.14 है0 भूमि के 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है तथा तदनुसार विभाजन करवाकर अलग से खाता खतौनी पास बुक जारी करवाने के अधिकारी है। इस कारण यह वाद इस न्यायालय में पेश हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 01.05.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1333 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टीटनवाड पटवार हल्का टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1230, 1231 व 1237 किता 3 का कुल रकबा 3.14 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1333 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर ए एस)

उनवान

संतोष बनाम अमीलाल वगै0

मुकदमा नं. : 403 / 2024

निर्णय दिनांक : 05.05.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गिल की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.05.2025 को सुप्रिया सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम टीटनवाड पटवार हल्का टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1230, 1231 व 1237 किता 3 का कुल रकबा 3.14 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 1333 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	2 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	3	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं